किया गया। इस System के माध्यम से विमुक्त बाल श्रमिकों के आर्थिक एवं शैक्षणिक पुनर्वास के अनुश्रवण एवं विमुक्त बाल श्रमिक को बाल श्रम के कुचक्र में पुनः फँसने से रोके जाने की व्यवस्था की गयी। Child Labour Tracking System (CLTS) पर दर्ज विवरणी के आधार पर प्रत्येक विमुक्त बाल श्रमिक को 25,000 रुपये मुख्यमंत्री सहायता कोष से देने की घोषणा की गयी।

- वर्ष 2016 में श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत बिहार श्रम आशुटंकक/आशुलिपिक संवर्ग नियमावली, 2016, बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना (फर्मासिस्ट) (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) संवर्ग नियमावली, 2016, बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रयोगशाला शिल्पिक (भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) संवर्ग नियमावली, 2016, बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना परिधापक (भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) संवर्ग नियमावली, 2016, बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना परिचारिका श्रेणी 'ए' (भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) संवर्ग नियमावली, 2016 तथाबिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाईफ) (भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) संवर्ग नियमावली, 2016 अधिसूचित की गयी।
- बिहार कारखाना (संशोधन) नियमावली, 2016 अधिसूचित की गयी। इसके द्वारा बिहार कारखाना नियमावली, 1950 के नियम 100 में संशोधन करते हुए वार्षिक रिटर्न दायर करने की तारीख प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी तक निर्धारित की गयी।
- बिहार कारखाना नियमावली, 1950 के नियम 3 में संशोधन कर कारखानों हेतु प्राप्त लाईसेंस के नवीकरण की वैधता 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी गई है एवं पूर्व निर्धारित शुल्क में 20 प्रतिशत वृद्धि की गयी।
- बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा ITI Common Admission Test में प्रति अभ्यर्थी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क 275 रुपये से कम कर 100 रुपयेकर दिया गया। शेष 175 रुपये का भुगतान श्रम संसाधन विभाग द्वारा किये जाने की व्यवस्था की गयी।
- राज्य के श्रमिकों के हित की रक्षा एवं श्रम शान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालयों की स्थापना की गई।
- Government Training Provider के रूप में सरकारी संस्थाओं यथा ITI, पालिटेक्निक संस्थान तथा राज्य के अभियंत्रण महाविद्यालयों के अतिरिक्त Central Institute of Plastic & Engineering Technology (CIPET), Hajipur, Tool Room & Training Center (TRTC), Patna तथा अन्य संस्थाओं को भी कौशल प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु बिहार कौशल विकास मिशन के वेब पोर्टल पर पंजीकृत किया गया।
- बिहार कौशल विकास मिशन के तहत् राज्य में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की कड़ी में बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा 15 संगठनों के साथ द्विपक्षीय समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया।
- बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा राज्य में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने तथा रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण प्रारंभ किए जाने के उद्देश्य से देश के नामचीन देशी एवं विदेशी एजेंसियों के साथ कई चरणों में विचार विमर्श किया गया तथा विमर्शोपरान्त राज्य में RTD (Recruit] Train & Deploy) योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया।

  इस योजना के तहत राज्य के युवाओं के विदेश में रोजगार दिलाने हेतु कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया तथा इस निमित्त 2 संगठनों ASMACS Ltd. तथा PowertrainOverseas LLP के साथ समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया।
- केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत केंद्र प्रायोजित राज्य प्रबंधित (Centrally Sponsored State Managed & CSSM) Component का क्रियान्वयन भी बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा किया गया।

बाल विवाह एवं दहेज से संबंधित सूचना टॉल फ्री नं. 181 पर दें।

- वर्ष 2016 में 7 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, यथा-सीतामढ़ी, बेतिया, नवादा, बक्सर, कटिहार, अरवल एवं जमुई के साथ 18 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, यथा अररिया, नरकटियागंज, नवगछिया, बिरौल, मनिहारी, उदाकिशनगंज, बनमनखी, वायसी, सिमरी बख्तियारपुर, पुपरी, महुआ, हवेली खड़गपुर, मुजफ्फरपुर पश्चिम, राजगीर, दाउदनगर, पालीगंज, तारापुर एवं रोसड़ा की स्थापना की गयी।
- वित्तीय वर्ष 2017-18 में तीन नये जिलों में यथा बाँका, नवादा एवं मुजफ्फरपुर में एक-एक नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गयी।
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को व्यावहारिक तथा तकनीकी कुशलता प्रदान करने हेतु भारत सरकार के शिक्षु प्रशिक्षण योजना, 1961 के तहत कार्यकुशल बनाने हेतु प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गयी।
- श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रर्वतन तंत्र का सुदृढीकरण योजना अन्तर्गत **दशरथ माँझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान**, पटना के भवन निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपये की राशि बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को आवंटित की गयी।
- बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत बाल श्रमिकों की विमुक्ति के पश्चात् उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था की गयी।
- राज्य में विमुक्त बाल श्रमिकों के शैक्षणिक एवं व्यावसायिक पुनर्वास हेतु विशेष आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन निविदा के माध्यम से चयनित गैर सरकारी संगठनों से कराये जाने का निर्णय लिया गया।

वर्ष 2020 से अबतक

- देश के असंगठित कार्यबल की दक्षताओं को मानकीकृत राष्ट्रीय मानकीकृत अर्हता फ्रेमवर्क में संयोजित करने के उद्देश्य से रिकग्निशन ऑफर प्रायर लर्निंग योजना का संचालन किया जा रहा है। इसमें 18 से 59 वर्ष के युवा जो संबंधित पाठ्यक्रम के लिए सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा परिभाषित प्री-स्क्रीनिंग मानदंडों को पूरा करते हैं, उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस योजना के माध्यम से मुख्य रूप से पूर्वार्जित ज्ञान एवं कौशल को मान्यता प्रदान की जाती है।

  वित्तीय वर्ष 2019-20 से अबतक कुल नामांकित 14271 में से 7081 को प्रमाणित किया गया है।
- स्किल ऑन व्हील कार्यक्रम की शुरुआत की गई।
- 1500 स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के प्रशिक्षण Tourism & Hospitality सेक्टर स्किल काउंसिल से एकरारनामा हस्ताक्षरित कर प्रशिक्षण कार्य की शुरुआत की गई।
- 800 टायर फिटरों के प्रशिक्षण हेतु रबड़, केमिकल एवं पेट्रोकेमिकल सेक्टर स्किल काउंसिल से एकरारनामा हस्ताक्षरित कर प्रशिक्षण कार्य की शुरुआतकी गई।
- 1500 फुटपाथ विक्रेताओंके प्रशिक्षण हेतु प्रबंधन, उद्यमिता एवं पेशेवर कौशल काउंसिल (MEPSC) से एकरारनामा हस्ताक्षरित एवं प्रशिक्षण कार्य की शुरुआतकी गई।
- पटना नगर निगम, बिहार कौशल विकास मिशन एवं ऑटोमोटिव सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा 350 वंचित/अत्यंत गरीब महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु त्रिपक्षीय एकरारनामा हस्ताक्षरित कर महिलाओं की ई-कार्ट ड्राईविंग में प्रशिक्षण कार्य की शुरुआत की गई।
- सेक्टोरल स्किल गैप स्टडी के लिए एजेंसी तथा केन्द्रीयकृत कॉल सेण्टर हेतु एजेंसी का चयन किया गया।
- Tool Room & Training Centre (TRTC) Patna, Indo Danish Tool Room (IDTR), Jamshedpur, Central institute of Plastics Engineering & Technology (CIPET), Hajipur द्वारा अत्याधुनिक CNC मशीनों द्वारा कुल 2213 प्रशिक्षणार्थियों को उन्नत प्रशिक्षण दिया गया।

बेटा-बेटी एक समान। दहेज-प्रथा करे सबका अपमान ।।

- Central institute of Plastics Engineering& Technology (CIPET), Hajipur महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भागलपुर एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पालीगंज, पटना में स्कील ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रारंभ करने हेतु 10 हजार वर्गफीट का भवन उपलब्ध कराया गया।
- केन्द्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अन्तर्गत 76 प्रशिक्षण केन्द्रों पर 36 पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया।
- राज्य के सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों को बेहतर प्रशिक्षण मुहैया कराने के उद्देश्य से Virtual Class Learning Platform के माध्यम से प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई।
- National Council For Vocational Training (NCVT) से सभी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को संबंधन प्राप्त हुआ।
- 7 निश्चय-2 के तहत राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने एवं उनको Industry 4.0 हेतु Modernize करने के लिए प्रथम चरण में 60 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं द्वितीय चरण में शेष 89 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से Center of Excellence बनाये जाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना एवं टाटा टेक्नोलॉजी के बीच समझौता पत्र हस्ताक्षर किया गया। जिसके तहत संस्थानों में 23 नवीन एवं उन्नत कोर्स यथा-3डी0 प्रीटिंग, इलेक्ट्रिक वाहन प्रशिक्षण, रोबोटिक्स, ड्रोन तकनीक आदि में प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया तथा टाटा टेक्नोलॉजी एवं उनके 20 Industry Partners के सहयोग से इन कोर्सों के लिए मशीनों की स्थापना की गयी।
- वर्तमान में प्रथम चरण में प्रशिक्षण हेतु चयनित कुल 60 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया। 570 प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण पूर्ण किया जा चुका है तथा वर्तमान में 2400 आवेदक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।
- सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में हिंदी में पठन-पाठन कराया जा रहा है।
- वर्तमान परिवेश में आर्थिक एवं वितीय प्रबंधन अति महत्वपूर्ण है। बाजारीकरण एवं Digitalization को ध्यान में रख कर लघु एवं कुटीर उद्योग तथा व्यापार क्षेत्र को मद्देनजर वाणिज्य क्षेत्र को बढ़ावा दिए जाने हेतु बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा GST-TALLY प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया।
- वर्तमान में डोमेन स्किलिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार के 16 विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके माध्यम से 15 से 59 आयु वर्ग के, जिनका पूर्व में किसी प्रक्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण का अनुभव नहीं है, उन्हें प्रशिक्षण देकर सम्बन्धित क्षेत्र में रोजगार या स्व-रोजगार का अवसर दिया जा रहा है।
- वर्तमान में निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण श्रम संसाधन द्वारा बिहार के युवाओं को रोजगार एवं स्व-रोजगार से जोड़ने एवं व्यवसायिक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने हेतु नियोजन-सह-व्यवसायिक मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया जा रहा है। वर्ष 2020-21 से अब तक नियोजन मेला के द्वारा कुल 1,31,397 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया।
- श्रम संसाधन विभाग के तीनों पक्ष (नियोजन, प्रशिक्षण एवं बिहार कौशल विकास मिशन) द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र में कुल 2,32,190 रोजगार का सृजन किया गया है।
- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एकीकृत पोर्टल e-shram (https://eshram-gov-in) का निर्माण किया गया है। अब तक बिहार के कुल 2.92 करोड़ मजदूरों का डाटा इस पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है।

भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत 0612-2217048 पर करें।

Nov. 2024

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

बिहार सरकार

Design & Printed by Shiva Enterprises, Patna # 9308286684

श्रम संसाधन विभाग
तथा
सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग
बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

नवम्बर, 2005 में **माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में** नई सरकार के गठन के बाद श्रम, प्रशिक्षण एवं नियोजन के क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया गया। एक ओर तो 'श्रमेव जयते' के सिद्धांत पर चलते हुए श्रमिक कल्याण को तो केन्द्र में रखा ही गया दूसरी ओर 'ईज ऑफ डुईंग बिजनेस' को भी प्राथमिकता सूची में रखा गया ताकि राज्य में व्यवसाय करने वाले लोगों को असुविधा न हो। बाल श्रम को रोकने हेतु सरकार ने दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रदर्शन किया। व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण के क्षेत्र को विस्तारित करने हेतु नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गयी। बिहार कौशल विकास मिशन की स्थापना माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की नायाब सोच का ही नतीजा था। युवाओं के कौशल विकास हेतु बड़ी संख्या में प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये। युवाओं को रोजगार दिलाने हेतु नियोजनालयों का आधुनिकीकरण किया गया तथा बड़ी संख्या में रोजगार मेलों का आयोजन किया गया। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत कई नये चिकित्सालय खोले गये। न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर चलते हुए श्रम संसाधन विभाग के द्वारा कई महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक कार्य किये गये।

वर्ष 2005 से 2010

- राज्य के बेरोजगारों के नियोजन की सूचना देने एवं मार्गदर्शन हेतु कुल 54 नियोजनालयों में कम्प्यूटर तथा इन्टरनेट की स्थापना कर पूरी तरह से क्रियाशील बनाया गया। साथ ही राज्य नियोजनालयों में बेरोजगारों के लिये ऑनलाइन निबंधन की सुविधा प्रारंभ की गयी।
- वर्ष 2006 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत पेंशनधारियों के बीच पेंशन भुगतान डाकघर बचत खाता के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है।
- वर्ष 2006 में हिलसा (नालंदा) में एक नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गयी।
- लोक-निजी भागीदारी (PPP) के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दीघा के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन का काम देश के अग्रणी अभियांत्रिकी संस्थान बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा (BIT, Mesra) को सौंपा गया।
- वर्ष 2007 में समाज के कमजोर वर्गों को राहत पहुँचाने के उद्देश्य से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकित होने वाले छात्रों के आवेदन शुल्क, पंजीयन शुल्क एवं अवधान शुल्क (Caution money) की दरें घटा दी गयी हैं तथा चिकित्सा शुल्क को पूरी तरह माफ कर दिया गया।
- वर्ष 2007 में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1953 में संशोधन कर दुकानों एवं प्रतिष्ठानों को सप्ताह में सातों दिन एवं रात्रि 10 बजे तक खुले रखने की अनुमति दी गयी तथादुकानों एवं प्रतिष्ठानों के निबंधन नवीकरण की बाध्यता को समाप्त किया गया। ऐसा राज्य में पहली बार किया गया।
- बिहटा, बरौनी एवं कहलगांव में नए **कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय** खोले गये।
- प्रत्येक वर्ष **17 सितम्बर विश्वकर्मा दिवस** को **श्रम कल्याण दिवस** के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया।
- वर्ष 2009 में बाल श्रम उन्मूलन, विमुक्ति एवं पुनर्वास योजना को मंजूरी दी गयी।
- वर्ष 2009 में सभी प्रमण्डलों एवं राज्य स्तर पर नियोजन-सह-मार्गदर्शन मेला का आयोजन प्रारंभ किया गया।
- वर्ष 2010 में **'आम आदमी बीमा योजना' एवं 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना'** को

बिटिया मेरी अभी पढ़ेगी, शादी की सूली नहीं चढ़ेगी।

सभी जिलों में लागू किया गया।

- प्रवासी मजदूरों की दुर्घटना में मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को एक लाख रुपये का भुगतान करने के उद्देश्य से वर्ष 2010 में **'प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना'** को लागू किया गया।
- बीड़ी मजदूरों के गृह निर्माण हेतु राज्य सरकार की ओर से 4,000 रुपये अनुदान देने का निर्णय लिया गया।
- वर्ष 2010 में **'बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग'** का पुनर्गठन किया गया।
- वर्ष 2010 में **'भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड'** का गठन किया गया। इस बोर्ड द्वारा 12 कल्याणकारी योजनाएँ प्रारंभ की गयी।
- वर्ष 2010 में **'बिहार कौशल विकास मिशन'** का गठन किया गया। कौशल विकास मिशन के अंतर्गत वर्तमान में संचालित केन्द्रों की कुल संख्या 875 हैं। अबतक 21,24,698 छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया तथा 7843 छात्र प्रशिक्षणरत हैं।
- वर्ष 2010 में तीन राज्य स्तरीय नियोजन मेलों का आयोजन किया गया।
- वर्ष 2010 में समुद्रपार नियोजन बाजार में बेरोजगार युवकों को अधिक से अधिक नियोजित करने के उद्देश्य से निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण में बिहार राज्य **समुद्रपार नियोजन ब्यूरो** की स्थापना की गयी।
- वर्ष 2010 में 3 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सहित 16 नयेऔद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गयी।
- वर्ष 2010 में 227 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले गये।

वर्ष 2010 से 2015

- वर्ष 2011 में निजी क्षेत्र में 370 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गयी जो एक रिकार्ड है।
- वर्ष 2012 में 06 नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यथाः औरंगाबाद, शिवहर, शेखपुरा, भेलारी (रोहतास) शिवनगर बेनीपट्टी (मधुबनी) एवं महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, समस्तीपुर की स्थापना की गयी।
- वर्ष 2013 में राज्य में 04 नये महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यथाः बेगूसराय, फारबिसगंज, सुपौल एवं जहानाबाद के साथ ही 01 नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, छपरा (सारण) की निर्माण की स्वीकृति दी गयी।
- वर्ष 2013 में राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में नामांकित सभी छात्राओं को **छात्रवृत्ति** देने का प्रावधान किया गया।
- Indira Gandhi National Open University (IGNOU) के माध्यम से 10 लाख युवकों को बाजार की मांग के अनुरुप व्यवसायों में प्रशिक्षण देने हेतु **'समर्थ योजना'** स्वीकृत की गयी।
- कर्मचारी राज्य बीमा योजना अन्तर्गत बीमित व्यक्तियों को देय चिकित्सा प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु चक्रीय कोष का गठन किया गया।
- बिहार असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना-2011 अन्तर्गत कामगार या शिल्पकार की दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रित को एक लाख रुपये तथा सामान्य मृत्यु की दशा में 30,000 रुपये का अनुदान उनके विधिक आश्रितों को दिये जानेका निर्णय लिया गया।
- कौशल उन्नयन हेतु गैर सरकारी संस्थान पीपल ट्री वेंचर प्रा0 लि0, मेहता इन्डस्ट्रीयल स्टेट, पटेल रोड, गोरेगाँव ईस्ट, मुंबई के साथ समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया। इसके तहत अगले एक वर्ष में एक लाख बेरोजगार

**14 साल की बिटिया है, लगवाओ न तुम फेरे,
कंधों पर बस्ता दे दो, जाएगी स्कूल सुबह-सवेरे।**

युवाओं को प्रशिक्षण तथा शत-प्रतिशत रोजगार मुहैया कराने का प्रावधान किया गया।

- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से उत्तीर्णता प्राप्त अथवा न्यूनतम 10वीं पास बेरोजगार युवकों को 'लर्न एण्ड अर्न' की तर्ज पर प्रशिक्षण के साथ-साथ रोजगार मुहैया कराने हेतु यशस्वी इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया।
- इराक एवं लीबिया से लौटे 191 विस्थापितों को बिहार लाकर उनके मूल गंतव्य तक पहुँचाने की व्यवस्था की गयी।
- वर्ष 2014 में सभी 38 जिलों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का कार्य पुनः प्रारंभ किया गया।
- वर्ष 2014 में बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढ़ीकरण राज्य में लागू किया गया तथा इसके तहत बाल श्रमिकों के विमुक्ति एवं पुनर्वास हेतु श्रमायुक्त कार्यालय में बाल श्रमिक कोषांग गठित की गयी।

वर्ष 2015 से 2020

- बाल श्रम उन्मूलन हेतु पटना में दो धावा दल एवं अन्य जिलों में जिला पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में धावा दल का गठन किया गया। धावा दल के माध्यम से सघन अभियान चलाकर बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में बाल श्रमिकों की विमुक्ति कराये जाने का प्रावधान किया गया। विमुक्ति के समय प्रत्येक बाल श्रमिक को भोजन, दवा, वस्त्र एवं एक माह का राशन उपलब्ध कराने के लिए पुनर्वास मद में 1,800 रुपये देने की व्यवस्था की गयी।
- वर्ष 2015 में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत सभी चिकित्सालयों के आधुनिकीकरण हेतु मशीनें एवं उपस्कर उपलब्ध कराये गये।
- वर्ष 2016 में राज्य के महिलाओं एवं युवाओं को तकनीकी शिक्षा के सुलभ अवसर प्रदान करने हेतुप्रत्येक जिला में एक महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं प्रत्येक अनुमंडल में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया।

  वर्तमान में राज्य के सभी जिलों में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में सत्र संचालित है। 26जिलों में भवन निर्माण पूर्ण, 4 जिलों में निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है एवं 1 जिला (लखीसराय) में भवन निर्माण प्रारंभ करने हेतु कार्रवाई की जा रही है।

  वर्तमान में सभी अनुमंडलों में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में सत्र संचालित है। 64 अनुमंडलों में भवन निर्माण पूर्ण, 11 अनुमंडलों में निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है, एवं 1अनुमंडलों (रक्सौल) में भवन निर्माण प्रारंभ करने हेतु कार्रवाई की जा रही है।
- 7 निश्चय के तहत 2 अक्टूबर, 2016 से **"कुशल युवा कार्यक्रम"** प्रारंभ किया गया। इस योजना के तहत वैसे युवा जो कम से कम मैट्रिक उत्तीर्ण हो, उन्हें भाषा (हिन्दी/अंग्रेजी) एवं संवाद कौशल, बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान एवं व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण देनेका निर्णय लिया गया। इसमें हिन्दी/अंग्रेजी एवं संवाद कौशल हेतु 80 घंटे, बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान हेतु 120 घंटे एवं व्यवहार कौशल हेतु 40 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाना निर्धारित किया गया।

  कुशल युवा कार्यकम के संचालन हेतु राज्य सरकार के द्वारा सभी प्रखण्डों में निजी क्षेत्र के प्रशिक्षण केन्द्रो के अतिरिक्त एक-एक कौशल प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया।

  इस योजना के तहत अब तक जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र पर प्राप्त कुल 27,95,141 आवेदनों में से 27,78,551 को प्रशिक्षण हेतु स्वीकृति दी गयी है। कुल 17,98,422 आवेदकों को प्रशिक्षण दिया गया तथा 1,10,812 आवेदक प्रशिक्षणरत हैं।
- राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता

बेटी है एक वरदान। दहेज देकर मत करो अपमान।।

भत्ता योजना के तहत आच्छादित सभी युवाओं को अनिवार्य रूप से कुशल युवा कार्यकम का प्रशिक्षण दिया जायेगा और उन्हें अंतिम 5 माह का स्वयं सहायता भत्ता तभी भुगतेय होगा जब वे सफलतापूर्वक कुशल युवा कार्यकम का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे।

- पूरे राज्य में छात्रों को एक समान प्रशिक्षण देने के लिए विभाग द्वारा महाराष्ट्र की कंपनी MKCL (Maharashtra Knowledge Corporation Limited) के साथ करार किया गया।
- देश के विभिन्न राज्यों में कार्यरत बिहार के युवाओं को प्रमाण पत्र के अभाव में उचित पारिश्रमिक नहीं मिलने की कठिनाईयों को दूर करने के उद्देश्य से बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा देश के प्रमुख सात राज्यों/केन्द्र शासित राज्यों यथाः दिल्ली, दमन एवं दीव, केरल, कर्नाटक, बंगाल, महाराष्ट्र एवं गुजरात में उद्योग घरानों से प्रमाणीकरण एवं कौशल विकास केन्द्र स्थापित करने के लिए अभिरुचि आमंत्रित की गयी।
- बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसियों के द्वारा स्थापित 936 कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों तथा राज्य सरकार के द्वारा निर्मित 532 अर्थात् कुल 1488 केन्द्रों के संचालन के लिए एजेंसी का चयन किया गया।
- कौशल विकास कार्यक्रम हेतु पूरे राज्य के लिए एक समान पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण अवधि तथा प्रशिक्षण शुल्क का निर्धारण किया गया। इसके तहत् राज्य के सभी विभागों के द्वारा संचालित किए जा रहे अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में चार माह के अन्दर इसे लागू करने का प्रावधान किया गया।
- राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान में राष्ट्र के युवाओं की महत्ता को ध्यान में रखते हुए उनको तकनीकी ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं निजी क्षेत्र में भारत सरकार की रोजगारपरक योजना MES (Moduler Employable Skill) के अंतर्गत विभिन्न मॉड्यूल में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया।
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में परीक्षा एवं नामांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने हेतु ऑन-लाईन पोर्टल प्रारंभ किया गया।
- राज्य योजनान्तर्गत विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के पुराने भवनों का जीर्णोद्धार तथा नए भवनों का निर्माण करने का निर्णय लिया गया।
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सर्वश्रेष्ठ मॉडल बनानेवाले प्रशिक्षणार्थी, सर्वश्रेष्ठ प्राचार्य, उप प्राचार्य एवं अनुदेशकों को पुरस्कृत करने की योजना प्रारंभ की गयी।
- वित्तीय वर्ष 2015-16 में केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत राज्य के दो नियोजनालयों क्रमशः अवर प्रादेशिक नियोजनालय, पटना एवं मुजफ्फरपुर में मॉडल कैरियर सेंटर स्थापित किये गये। इसके अतिरिक्त अवर प्रादेशिक नियोजनालय, भागलपुर में मॉडल करियर सेंटर की स्थापना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।
- भवनविहीन नियोजनालय हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में 30 करोड़ रुपये के उद्व्यय पर पूर्णियाँ, मुंगेर, डेहरी-ऑन-सोन (रोहतास) में संयुक्त श्रम भवन (G+2) के निर्माण की योजना तथा बक्सर, नवादा, बाँका, भभुआ, कटिहार, मोतीहारी, बेगूसराय, सीतामढ़ी नालन्दा एवं किशनगंज में संयुक्त श्रम भवन (G+1) के निर्माण की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी।
- बिहार राज्य में Ease of Doing Business के उद्देश्य से विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत निबंधन/लाईसेंसिंग/नवीकरण की ऑनलाईन सेवा 26 फरवरी 2016 से आरंभ की गयी। ऑनलाईन व्यवस्था में आवेदक को किसी भी श्रम अधिनियम के अन्तर्गत निबंधन अथवा लाईसेंस प्राप्त करने के लिए किसी श्रम कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं थी। इसके साथ ही शुल्क का भुगतान भी Payment Gateway के माध्यम से ऑनलाईन करने की सुविधा प्रदान की गयी।
- 12 जून 2016 को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के द्वारा Child Labour Tracking System (CLTS) का विधिवत शुभारंभ

**अवैध शराब एवं मादक द्रव्य के संबंध में शिकायत
टॉल फ्री नं. 18003456268 या 15545 पर करें।**